



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062022-236465  
CG-DL-E-10062022-236465

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2541]  
No. 2541]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 10, 2022/ज्येष्ठ 20, 1944  
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 10, 2022/JYAISTHA 20, 1944

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2022

का.आ. 2668(अ).—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 की 49) की धारा 60 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना, सं. का.आ. 3550 (अ) दिनांक 8 नवंबर, 2017 को संशोधित करने के लिए आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (3) में, निर्वाचित संसद सदस्यों से संबंधित खंड (क) में, उपखंड (i) और (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंडों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(i) डॉ सुभाष रामराव भामरे, सदस्य, लोक सभा

(ii) श्री रमेश चंद्र कौशिक, सदस्य, लोक सभा;”.

[फा. सं. 38-06/2022-डीडी-III]

राजेश कुमार यादव, संयुक्त सचिव

नोट : भारत के राजपत्र, असाधारण, खंड- II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 08 नवंबर, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3550 (अ) के जरिए मूल अधिसूचना प्रकाशित की गई थी।

**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT****[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th June, 2022

**S.O. 2668(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 60 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendment to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment, Number S.O. 3550(E) dated the 8<sup>th</sup> November, 2017, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

In the said notification, in serial number (3), in clause (a) relating to elected Members of Parliament, for sub-clauses (i) and (ii), the following sub-clauses shall be substituted, namely:-

“(i) Dr. Subhash Ramrao Bhamre, Member, Lok Sabha

(ii) Shri Ramesh Chander Kaushik, Member, Lok Sabha;”.

[F. No. 38-06/2022-DD-III]

RAJESH KUMAR YADAV, Jt. Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) vide notification number S.O. 3550 (E), dated the 8<sup>th</sup> November, 2017.